पत्र संख्या - 10260/38-4-999(अ)-78

श्री सच्चिदानन्द पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त ज़िलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ : दिनांक 12, जनवरी 1978

विषय :- वर्ष 1977-78 में उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों के लघु/सीमान्त कृषकों को निजी लघु सिंचाई कार्यों पर अनुदान की व्यवस्था जहाँ लघु/सीमान्त कृषकों को निजी लघु सिंचाई कार्यों पर राज्य सहायता उपलब्ध नहीं है ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 6042/38-4-77, दिनांक 14 सितम्बर 1977 के अनुक्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर 4 में यह अंकित है कि राज्य सहायता केवल उन्हीं उन्हीं कार्यों पर देय होगी जिनका निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में 1977-78 में ऋण प्राप्त करके कराया जायेगा अथवा करा लिया गया है । उक्त प्रस्तर 4 में राज्य सहायता की धनराशि कृषकों द्वारा लिये गये ऋण की धनराशि से [illegible] किये जाने के सम्बन्ध में जो उल्लेख है उसकी स्थिति स्पष्ट न होने की सूचना प्राप्त हुई है । अतएव मुझे स्पष्ट करना है कि प्रदेश के उन क्षेत्रों में जहाँ लघु/सीमान्त कृषकों को निजी लघु/सिंचाई कार्यों पर राज्य सहायता उपलब्ध नहीं है उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य सहायता निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार लघु/सीमान्त कृषकों को देय होगी ।

1. अनुदान की धनराशि [illegible] अनुसार किया जायेगा ।

2. जनपद के लिये आवंटित धनराशि का आवश्यकतानुसार विकास खण्ड वार वितरण अतिरिक्त ज़िलाधिकारी विकास/ज़िला विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

3. अनुदान की धनराशि उन्हीं लघु/सीमान्त कृषकों को देय होगी - जिन्होंने वर्ष 1977-78 में (01-04-77 से 31-03-78 तक) उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक/व्यवसायिक बैंकों से ऋण अथवा तराई क्षेत्र के विकास खण्डों में जी.एम.एफ़. से दी जाने वाली तक़ावी प्राप्त किया है अथवा करेंगे ।

4. लघु/सीमान्त कृषक विकास अभिकरण के नियमों के अनुसार जो शासनादेश संख्या 6042/38-4-77 दिनांक 14-09-77 के साथ संलग्नक के रूप में भेजे जा चुके हैं, लघु/सीमान्त की सूची तहसील स्तर पर तैयार की जाये । इस कार्य में खण्ड विकास अधिकारी अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे तथा ज़िलाधिकारी इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी करेंगे कि उन सूचियों का प्रमाणीकरण करके तहसीलदार प्राथमिकता के आधार पर

विकास खण्डों को उपलब्ध करा दें ।

जिस लघु/सीमान्त कृषक ने लघु सिंचाई कार्य के निर्माण हेतु ऋण की पहली क़िस्त प्राप्त कर ली है उनका नाम, बल्दियत पूर्ण पता, प्रार्थना पत्र की स्वीकृति की तिथि, बैंक खाता संख्या, स्वीकृति धनराशि तथा निजी लघु सिंचाई कार्य का नाम सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक, भूमि विकास बैंक सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को भेज दें ।

सम्बन्धित बैंकों से प्राप्त सूचना के आधार पर स्वीकृत ऋण की धनराशि से 90 प्रतिशत देय धनराशि की गणना खण्ड विकास अधिकारी अनुदान स्वीकृत करने से पहले कर लेंगे तथा उसी आधार पर अनुदान का समायोजन करायें ।

खण्ड विकास अधिकारी कृषकवार अनुदान की देय धनराशि को निर्धारित ट्रेज़री फ़ार्म पर बैंकवार बिल बनाकर धनराशि के आहरण हेतु ट्रेज़री से पास करायेंगे परन्तु यह धनराशि बैंक से नक़द प्राप्त न करके बिल का इन्डोर्समेन्ट सम्बन्धित बैंक (जहाँ से कृषक ने ऋण प्राप्त किया है) को इन कृषकों के खातों में समायोजन हेतु उनके द्वारा लिये गये ऋण के विरूद्ध जमा कर लेगा । बैंक के शाखा प्रबन्धक/खण्ड विकास अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि अनुदान की धनराशि का समायोजन कृषकों के खातों में बैंक द्वारा 10 दिन के अन्दर कर दिया गया है ।

8. कार्य पूर्ण होने पर कार्य की वास्तविक लागत की गणना करके वास्तविक लागत अथवा सम्पूर्ण स्वीकृत ऋण जो भी कम हो पर देय अनुदान की धनराशि की गणना की जायेगी । प्रस्तर 6 के अनुसार भुगतान की गयी धनराशि को इसमें से काटकर शेष अनुदान के आहरण तथा समायोजन की प्रक्रिया प्रस्तर 5 के अनुसार पुनः की जायेगी । इसके करने से पहले यह आवश्यक है कि कृषक का कार्य नियमानुसार पूर्ण हो । कार्यपूर्ति का प्रमाण पत्र का सत्यापन सहायक विकास अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर आवश्यक है ।

यदि किसी मामले में प्रस्तर 8 के अनुसार समायोजित अनुदान की धनराशि उपरोक्तानुसार निकाली गयी अनुदान की धनराशि से अधिक हो जाती है तो इसे सम्बन्धित कृषक के खाते में निकालने हेतु उस बैंक के अन्य बिल में समायोजित करा दिया जायेगा ।

10. यदि कोई कृषक अथवा लघु सिंचाई कार्य राजकीय नहरों अथवा राजकीय नलकूपों की कमांड में बनाता है तो उसे भी राज्य सहायता देय होगी ।

11. शासनादेश संख्या 6042/38-4-77, दिनांक 14-09-77 में वर्णित लघु सिंचाई कार्यों के अतिरिक्त बोरिंग तथा कूपों को गहरा करने के लिये दिये गये ऋण अथवा उसकी लागत पर (जो भी कम हो) 25 प्रतिशत तथा 33-1/3 प्रतिशत का अनुदान देय होगा तथा उक्त राज्य सहायता नैनीताल जनपद के 5 विकास खण्ड तथा देहरादून जनपद के 2 विकास खण्ड जो

तराई क्षेत्र में आते हैं, में ऐसे लघु तथा सीमान्त कृषकों को भी देय होगी जिन्होंने अधिक अन्न उपजाओ योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष (1977-78) में तक़ाबी ऋण लिया है अथवा लेंगे ।

12. इस कार्य हेतु रूप पत्र तथा अभिलेख लघु/सीमान्त कृषक विकास अभिकरणों में प्रचलित रूप पत्र तथा अभिलेखों के अनुसार रखे जायेंगे (प्रतिलिपि 5 ऊ.द. संलग्न ।)

4. उपरोक्त प्रस्तर 11 के अनुसार शासनादेश संख्या 6042/38-4-77, दिनांक 15 सितम्बर, 1977 को तद्नुसार संशोधित समझा जाये ।

5. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं जो आशासकीय पत्र संख्या ई.-2-179/दस दिनांक 01, फरवरी 1978 में प्राप्त हुये हैं ।

भवदीय

सच्चिदानन्द पाण्डेय

संयुक्त सचिव

पत्र संख्या - 10260(1)/38-4-999(अ)-78 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश ।
2. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
5. समस्त अतिरिक्त ज़िलाधिकारी (विकास)/ज़िला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
7. निदेशक, संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ (20 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
8. ग्राम्य विकास अनुभाग - 2 एवं पर्वतीय विकास अनुभाग - 5
9. महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
10. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से

सच्चिदानन्द पाण्डेय

संयक्त सचिव